(36)

(37)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 108–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–11–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण क्रमांक 673/अपील/2011–12.

खुशीलाल पुत्र स्व0मंशाराम
निवासी ग्राम बेरखेड़ी बाजयाफ्त,
तहसील हुजूर जिला भोपाल म0प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

परसराम पुत्र स्व0धन्नालाल,
निवासी ग्राम बेरखेड़ी बाजयाफ्त,
तहसील हुजूर जिला भोपाल म0प्र0 .....अनावेदक

श्री हेमन्तकुमार, अभिभाषक, आवेदक
श्री दीपकसिंह, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/12/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–11–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक स्वत्व की ग्राम बेरखेड़ी बाजयाफ्त स्थित भूमि सर्वे कमांक 133, 136/2, 134, 135/1, 138/2, 139, 137, 141, 206/139 कुल रकबा 11.05 एकड़ पैतृक भूमि है । उक्त भूमि वर्ष 1980 में अनावेदक के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुई तत्पश्चात् अनावेदक के भाई बिहारीलाल, गोबर्धन एवं बाबूलाल के मध्य आपसी बटवारा हो गया । अनावेदक के अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुये आवेदक द्वारा उसकी भूमि में से लगभी 6 एकड़ भूमि पर आपसी बटवारे के आधार पर दिनांक 8–2–1980 को अपना नाम दर्ज करा लिया । उक्त आदेश की जानकारी अनावेदक को होने पर उसके द्वारा दिनांक 6–2–2012 को लगभग 32 वर्ष विलम्ब से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19–7–2012 को आदेश पारित कर अवधि बाह्य होने से निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 16–11–2015 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) संहिता की धारा 46(क)एवं(ख) में आज्ञापक प्रावधान है कि यदि आवेदन पत्र अन्तर्गत अवधि विधान की धारा 5 का निरस्त हुआ है तो ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील नहीं होगी, इसके बावजूद अपर आयुक्त द्वारा अपील में हस्तक्षेप करने में त्रुटि की गई है ।

(2) अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तहसील न्यायालय के वादग्रस्त आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई थी, ऐसी स्थिति में अपील ग्राह्य योग्य नहीं होने से निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही कीगई है ।

(3) अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण में गुणदोष पर आदेश पारित किया गया है, जबकि गुणदोष पर उभयपक्ष द्वारा तर्क ही प्रस्तुत नहीं किये गये थे । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर आदेश पारित किया गया था, ऐसी स्थिति में भी अपर आयुक्त द्वारा गुणदोष पर आदेश पारित नहीं किया जा सकता था, परन्तु गुणदोष पर आदेश पारित करने में अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

(4) अवधि के अत्यधिक विलम्ब के पश्चात् कोई कार्यवाही की जाती है तो इस दौरान पक्षकार के मौलिक अधिकार पूर्ण हो जाते है इस कारण विलम्ब क्षमा किया जाना उचित कार्यवाही नहीं है, इस स्थिति पर बिना विचार किये अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है ।

तर्क के समर्थन में 2016 आरएन 182, 2014 आरएन 220, 2015 आरएन 107, आईएलआर 2015(एमपी 509), 1992(2) एमपीजेआर शार्टनोट 5, 2011(3) एमपीएलजे 135 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि का आवेदक कभी भी सहखातेदार नहीं रहा है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा वर्ष 1980 में पारित नामान्तरण आदेश एवं बटवारा आदेश पूर्णतः अवैधानिक होकर क्षेत्राधिकार रहित आदेश है जिसे समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर स्थिर नहीं रखा जा सकता है, अतः अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

(2) आवेदक द्वारा अनावेदक के परिवार का सदस्य बताते हुये प्रश्नाधीन भूमि पर बटवारे के आधार पर नामान्तरण कराया गया है, जबकि आवेदक अनावेदक का भाई तो दूर परिवार का सदस्य भी नहीं है और ना ही सहखातेदार है । अतः यह विधि का सुस्थापित

सिद्धांत होते हुये कि बटवारे की कार्यवाही केवल संयुक्त खातेदार के मध्य की जा सकती है । आवेदक द्वारा फर्जी एवं मिथ्या कार्यवाही कर अपना नाम दर्ज कराया गया था, ऐसे आदेश के विरूद्ध समय सीमा का बंधन नहीं रहता है, इस स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया था जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

(3) पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित आदेश को वरिष्ठ न्यायालय स्वमेव संज्ञान में लेकर निरस्त कर सकता है, अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखने से स्पष्ट हो जाता है कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश पूर्णतः वैधानिक एवं उचित आदेश है ।

(4) आवेदक द्वारा प्रकरण में प्रारंभ से तकनीकी स्वरूप की आपत्तियॉं उठाई जाती रही है, परन्तु उसके द्वारा यह नहीं बतलाया गया है कि तहसील न्यायालय का आदेश किस प्रकार से वैधानिक एवं उचित आदेश है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । नामान्तरण पंजी को देखने से स्पष्ट है कि नामान्तरण पंजी पर किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है । स्पष्ट है कि नामान्तरण पंजी पर आदेश पारित करने में हितबद्ध व्यक्तियों को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को अवधि बाह्य मानने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । जहॉं तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील को समय सीमा में तो मान्य किया गया है, परन्तु गुणदोष पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई है, जो कि पूर्णतः अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही है, क्योंकि जब अपर आयुक्त द्वारा यह मान्य किया गया था कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् प्रकिया अपनाकर आदेश पारित नहीं किया गया है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील अवधि बाह्य मान्य करने में त्रुटि की गई है, तब या तो उन्हें स्वयं प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करना था । अतः इस प्रकरण में यह विधिक

आवश्यकता है कि अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को समय सीमा में मान्य कर गुणदोष पर निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–11–2015 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–7–2012 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी को निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर